IN THE HIGH COURT OF UTTARANCHAL AT NAINITAL

Writ Petition No. 738 of 2006 (M/B)

Mohd. Arsi S/o Mohd. Iqram,
R/o Mohalla Jabtaganj,
Post Office Nazeebabad,
District Bijnor (U.P.). …….. Petitioner

Versus

1. State of Uttaranchal,
through Secretary (Home),
Civil Secretariat, Uttaranchal,
Dehradun.
2. Station House Officer,
Police Station Shyampur,
District Haridwar.
3. Sanjeev Solanki,
Assistant Commissioner (Incharge),
Trade Tax Patrolling Party, Roorkee,
District Haridwar. …… Respondents

Mr. Ramji Srivastava, Advocate for the petitioner.
Mr. D.K. Sharma, Government Advocate for respondents Nos. 1 and 2.

JUDGMENT

Coram: Hon'ble Rajeev Gupta, C.J.
Hon'ble Prafulla C. Pant, J.

RAJEEV GUPTA, C. J. (Oral)

Mr. Ramji Srivastava, Advocate for the petitioner.

Mr. D.K. Sharma, Government Advocate for respondents Nos. 1 and 2.

They are heard on admission.

2. Petitioner Mohd. Arsi has filed this writ petition for the following reliefs:

> "i. issue a writ, order or direction in the nature of Certiorari, calling for the records and quashing the first information report dt. 24.4.2006 (Annexure No. 1 to this writ petition), lodged by the respondent no. 3, on the basis of which, a case crime no. 27 of 2006 under

sections 419, 420, 467, 468 and 471 I.P.C. was registered at Police Station Shyampur, District Haridwar, so far as it relates to the petitioner.

ii. pass any other and further orders, which this Hon'ble Court ay deem fit and proper in the facts and circumstances of the case.

iii. award the cost of writ petition to the petitioner."

3. The petitioner is seeking quashing of the First Information Report and the case registered against him at Crime No. 27 of 2006 at Police Station Shyampur, District Haridwar for the alleged commission of the offences punishable under Sections 419, 420, 467, 468 and 471 of the I.P.C.

4. In the First Information Report, petitioner Mohd. Arsi is projected as an active member in the racket, which was involved in fabricating forged documents with a view to evade trade tax in the State of Uttaranchal.

5. The relevant portion of the First Information Report reads as follows:

"दिनांक 21–4–2006 को असिस्टेन्ट कमिप्नर प्रिंभारीक्र वाणिज्य कर सचल दल, रूड़की को गोपनीय रूप से यह सूचना प्राप्त हुयी कि वाहन संख्या यू0ए0–12/6330 के उपरोक्त फर्जी प्रपत्र कांगड़ी में गढ़वाली ढाबे के निकट एक दुकान पर तैयार किये गये हैं तथा वहां पर इस प्रकार के कर अपवंचक वाहनों के फर्जी प्रपत्र तैयार किये जाते हैं। इस आधार पर दिनांक 22–4–2006 को असिस्टेन्ट कमिप्नर प्रिंभारीक्र वाणिज्य कर सचल दल, रूड़की द्वारा श्री कार्तिकेय वर्मा, वाणिज्य कर अधिकारी, श्रेणी–2, वि0अनु0प्रा0, हरिद्वार तथा श्री यप्रपाल सिंह, वाणिज्य कर अधिकारी, श्रेणी–2, सचल दल, रूड़की के साथ कांगड़ी स्थित उपरोक्त स्थल की जांच की गयी। सर्वेक्षण के समय उक्त स्थल पर श्री मोहम्मद आरसी पुत्र श्री मोहम्मद इकराम उपस्थित मिले। उक्त स्थल पर सर्वश्री गढ़वाल रोड लाईन्स, ढालवाला, ऋप्रिकेप्र से सम्बन्धित टेक बिल्टी तुलवायी गयी, जिससे उपरोक्त वाहन संख्या–यू0ए0–12/6330 के साथ संलग्न बिल्टी क्रमांक 3402 दिनांक 20–4–2006 जारी की गयी

थी। उक्त प्रपत्रों की जांच करने पर पाया गया कि (Sanjay Solanki 24.4.2006) प्रपत्रों की हस्तलिपि वाहन के साथ उपलब्ध बिल की हस्तलिपि से मेल खाती है। इससे यह प्रमाणित हुआ कि मोहम्मद आरसी द्वारा ही उक्त स्थल पर माल से सम्बन्धित प्रपत्र तैयार किये जाते हैं। उक्त के अतिरिक्त एक नम्बरिंग मधीन भी उक्त स्थान पर पायी गयी, जिसका प्रयोग फर्जी प्रपत्रों के क्रमांकन के लिए किया जाता था। उक्त बिन्टी कुक नम्बरिंग मधीन एवं वहां पर पाये गये कुछ अन्य कागजों को उपरोक्त अधिकारियों द्वारा वाणिज्य कर अधिनियम की धारा–42 के अन्तर्गत अभिग्रहीत किया गया। दिनांक 22–4–2006 को ऋप्रिकेप्र की फर्म सर्वश्री जयदुर्गा टैडर्स, केदार मार्केट, ढालवाला, ऋप्रिकेप्र के व्यापार स्थल की जांच असिटेन्ट कमिध्नर, वाणिज्य कर, ऋप्रिकेप्र द्वारा की गयी। जांच के फलस्वरूप यह पाया गया है कि उक्त पते पर इस नाम की कोई फर्म कार्यरत नहीं है। इससे यह प्रमाणित हुआ कि बिल क्रमांक–001 दिनांक 20–4–2006, जो माल के साथ था, वह भी फर्जी था। दिनांक 23–4–2006 को सर्वश्री गढ़वाल रोड लाईन्स, ढालवाला एवं सर्वश्री कुमार धर्मकांटा, हरिद्वार रोड, ऋप्रिकेप्र की जांच असिस्टेन्ट कमिध्नर, वाणिज्य कर, ऋप्रिकेप्र द्वारा श्री कार्तिकेय वर्मा, वाणिज्य कर अधिकारी, श्रेणी–2, वि0अनु0प्रा0, हरिद्वार के साथ की गयी। जांच करने पर यह तथ्य प्रकाप्र में आया कि सर्वश्री गढ़वाल रोड लाईन्स, ढालवाला, ऋषिकेप्र एवं कुमार धर्मकांटा, हरिद्वार रोड, ऋषिकेप्र भी अस्तित्व में नहीं हैं। उपरोक्त तथ्यों से यह स्पप्रट प्रमाणित होता हे कि माल का कन्साइनर फर्जी है तथा वह टेांसपोर्ट कम्पनी, जिससे माल परिवहन किया जा रहा है, भी अस्तित्व में नहीं है अर्थात फर्जी है। धर्मकांटा की फर्जी एवं अन्य प्रपत्रों से यह भी प्रमाणित होता है कि उक्त माल फर्जी प्रपत्रों के आधार पर वाणिज्य कर के अपवंचन एवं राजस्व क्षति के उद्देप्य से परिवहन किया जा रहा है। आपसे निवेदन है कि उपरोक्त आधार पर वाहन संख्या यू0ए0–12/6330 के स्वामी श्री नरेन्द्र कुमार गोयल पुत्र श्री चमन लाल, वास्ते अरूणा स्टील प्रा0लि0, 14डी, इण्डस्टियल एरिया, जप्रोधरपुर, कोटद्वार वाहन चालक कालू पुत्र श्री जलालुद्दीन, मोहम्मद आरसी पुत्र श्री मोहम्मद इकराम एवं माल के कनसाइनर कनसाइनी के विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता की संगत धाराओं के अर्न्तगत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करते हुए मुकदमा दर्ज करने का कष्ट करें।"

6. From the above-quoted narration of the First Information Report, it is apparent that petitioner Mohd. Arsi is involved neck deep

in the illegal activities of the racket operating in the State of Uttaranchal adversely affecting the revenue of the State by evading trade tax.

7. In our opinion, no case, warranting quashing of the First Information Report and the case registered against petitioner Mohd. Arsi, is made out.

8. The writ petition, therefore, is liable to be dismissed and is, hereby, dismissed summarily.

9. Consequently, CLMA No. 7513 of 2006 also stands dismissed.

(Prafulla C. Pant, J.) **(Rajeev Gupta, C. J.)**
23.06.2006 23.06.2006

G